न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 77/2014 **दायरा दिनांक : 26.03.2014**

उनवान

1— रामसिंह आत्मज बापू सिंह, जाति राजपूत, निवासी नौलाव, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड मृतक कायम मुकामान :—

1/1— मोहन कंवर पत्नी स्वर्गीय रामसिंह, जाति राजपूत, निवासी नौलाव, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

1/2— शिवराज सिंह पुत्र स्वर्गीय रामसिंह, जाति राजपूत, निवासी नौलाव, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

1/3— राजेश बाई पुत्री स्वर्गीय रामसिंह, जाति राजपूत, निवासी नौलाव, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

1/4— भूपेन्द्र सिंह स्वर्गीय रामसिंह, जाति राजपूत, निवासी नौलाव, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

1/5— विजय सिंह पुत्र स्वर्गीय रामसिंह, जाति राजपूत, निवासी नौलाव, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

1/6— नरेन्द्र सिंह पुत्र स्वर्गीय रामसिंह, जाति राजपूत, निवासी नौलाव, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1— नन्दू बाई दुख्तर लक्ष्मण, जाति कहार, निवासी नौलाव, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

2— चमेली बाई पुत्री लक्ष्मण, जाति कहार, निवासी नौलाव, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

3– धापू बाई पुत्री लक्ष्मण, जाति कहार, निवासी नौलाव, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

4– सरिता बाई पुत्री लक्ष्मण, जाति कहार, निवासी नौलाव, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

5– सम्पत बाई पुत्री लक्ष्मण, जाति कहार, निवासी नौलाव, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

6– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार झालरापाटन, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री बी एल माहेश्वरी अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री औकारेश्वर शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 18.12.2017**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, झालावाड के प्रकरण संख्या – 419/2009 निर्णय व डिक्री दिनांक 28.01.2014 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने रेस्पोडेंटगण के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88,

91, 92ए, 188 एवं 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम नौलाव, तहसील झालरापाटन में जमाबंदी सम्वत 2062–65 में खतौनी संख्या 59 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 13 रकबा 2.44 एकड़ प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 के गैर खातेदारी में दर्ज है । प्रतिवादीगण ने उपखण्ड अधिकारी, झालावाड के न्यायालय में इस आराजी के बाबत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बेदखली का दावा संख्या 441/2003 दिनांक 23.01.2003 को पेश किया था जो दिनांक 28.01.2008 को खारिज किया गया है । वादी का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा मुखालफाना 20 सालों से लगातार ऐलानिया, शांतिपूर्वक बिना किसी बाधा के चला आ रहा है जिसके कारण वादी खातेदार घोषित होने का अधिकारी है । प्रतिवादीगण ने कभी भी इस आराजी को काश्त नहीं किया है । अतः दावा वादी स्वीकार कर वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जाये और प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाये कि वादी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में हस्तक्षेप न करें । अधीनस्थ न्यायालय ने जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर दिनांक 28.01.2014 को दावा वादी खारिज किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय विधि विरूद्ध है । पत्रावली पर आयी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन नहीं किया है । तनकीयात का निर्णय मनमाना किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट वादी का प्रतिकूल कब्जा है । प्रतिवादीगण का कभी भी इस आराजी पर कब्जा नहीं रहा है । अपीलांट ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से अपने कब्जे को सिद्ध किया है फिर भी दावा खारिज किया है । तनकीयात की विवेचना साक्ष्य के आधार पर नहीं की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर कृषि भूमि में खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबंदी सम्वत 2062–65 एक्जीविट 1 सलंग्न है जिसमें वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज है । एक्जीविट 2 नक्शाट्रेस की प्रमाणित प्रति है । बयान रामसिंह, मोहनलाल वादी की ओर से कराये गये हैं । एक्जीविट डी 1 दावा संख्या 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जो कि प्रतिवादीगण ने पेश किया था उसकी प्रमाणित प्रति है, एक्जीविट डी 2 इस दावे में रामसिंह की ओर से पेश किये गये जवाबदावे की प्रमाणित प्रति है, एक्जीविट डी 3 उपखण्ड अधिकारी झालावाड के निर्णय दिनांक 28.01. 2008 की प्रमाणित प्रति है । इसके अलावा प्रतिवादी की ओर से बयान नन्दू बाई कराये गये हैं । बयानात में पी डब्ल्यू और डी डब्ल्यू नम्बर अंकित नहीं किया गया है ।

अपीलांट वादी ने वादग्रस्त आराजी पर स्वयं का प्रतिकूल कब्जा बताते हुए हक घोषणा का दावा पेश किया है और उन्होंने अपने पक्ष

के समर्थन में जो दस्तावेज पेश किये हें वह नकल जमाबंदी और नक्शाट्रेस है । इसके अलावा अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपने कब्जे के समर्थन में उनके द्वारा पेश नहीं किया गया है । प्रतिवादी की ओर से 3 दस्तावेज पेश किये गये हैं । उनके द्वारा दावा, जवाबदावा और निर्णय की प्रमाणित प्रति पेश की गई है । यह दावा साक्ष्य वादी उपस्थित नहीं होने पर धारा 17 (3) में खारिज किया गया है । गुणावगुण पर दावा खारिज नहीं किया गया है ।

वादी अपीलांट अपने लम्बे समय के कब्जे को दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नहीं कर पाये हैं और यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाये कि उनका वादग्रस्त आराजी पर प्रतिकूल कब्जा है तो भी माननीय राजस्व मण्डल की फुल बैंच के निर्णय के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से वादी अपीलांट का दावा खारिज किया है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.01.2014 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा